के चलते उसकी जमीन का समुचित मुआवजा नहीं दिया जा सका, इसलिए वह सेंटर आज तक चालू नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और दर्ख्यास्त भी करूंगा कि कृपया जमीन के पैसे का आवंटन जल्द-से-जल्द कर दिया जाय, ताकि वह सेंटर चालू हो, नहीं तो सरकार के किए हुए कामों पर से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: मान्यवर, माननीय सदस्य श्री दिग्विजय जी ने सही फरमाया। सरकार के कार्मो पर से लोगों का विश्वास सही में उठ जाएगा, क्योंकि 2003 में इसकी पूरी स्कीम फाइनल हुई, उस समय जो राशि आवंटित की गई और उसी समय यह कहा गया कि यह 27 लाख से नहीं होगा, इसमें 90 लाख लगेगा। फिर भी बिहार प्रान्त से सूचना आने के बावजूद सरकार ने राशि आवंटित नहीं की। इसलिए आप उधर बैठिए और मैं इधर बैठा हूं। मैं इसको पूरा आवंटित करके इसको अब तेजी से चलाउंगा।

श्री सभापतिः नेक्स्ट क्वैश्चन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त कॉलेज

*26. डा॰ मुरली मनोहर जोशी:† श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और 20 राज्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता-प्राप्त कॉलेज भी चल रहे हैं;
 - (ख) यदि हां, तो उपरोक्त तीनों श्रेणियों में कितने-कितने कॉलेज चलाए जा रहे हैं;
 - (ग) उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के कॉलेज को चलाने का वार्षिक व्यय कितना है; और
 - (घ) यह व्यय किस-किस स्रोत से कितना-कितना किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कॉलेज अपने व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों और उनके द्वारा अर्जित आय सहित अन्य स्रोतों से दी जाने वाली सहायता से करते हैं। कॉलेजों के संबंध में व्यय

[†]सभा में यह प्रश्न डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।

के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन्हीं पात्र कालेजों के सम्बंध में आंकड़े रखता है जिसे वह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें 31.3.05 तक राज्य विश्वविद्यालयों के अधीन 4811 कालेज तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 63 घटक/सम्बद्ध कालेज शामिल हैं। इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुरक्षण अनुदान के रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 58 घटक/सम्बद्ध कालेजों को कालेजों के संचालन के लिए सीधे अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन कालेजों के संचालन हेतु वार्षिक सहायता के रूप में 291.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अन्य तेरह कालेजों को सहायता सीधे न देकर सम्बंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है।

UGC aided colleges

†*26. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:†† SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:

Will the Minister of HUMAN RESORUCE DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there are colleges aided by the University Grants Commission apart from 18 Central Universities and 20 State Universities in the country;
 - (b) if so, the number of colleges being run in the above three categories;
- (c) the annual expenditure for running the colleges in each of the said categories; and
- (d) the resources from which this expenditure is mobilized together with the amount thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): (a) to (d) A Satement is laid on the Table of the House.

Statement

Colleges meet their expenditure out of the assistance provided by the University Grants Commission (UGC), State Governments and other sources including the income generated by them. No centralized database

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

^{††}The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.

of expenditure is maintained in respect of colleges. However, data is maintained by the UGC regarding financial assistance provided by it to eligible colleges, which include 4811 colleges under State universities and 63 Constituent/affiliated colleges of Central Universities as on 31.03:2005. At present, the UGC provides grants for running the colleges directly to 58 Constituent/affiliated colleges of the Central Universities by way of maintenance grant. Annual assistance for running these colleges amounting to Rs. 291.90 crores was made available to them by the UGC during 2004-05. Another thirteen colleges of Central Universities are being assisted by the UGC through the concerned Universities and not directly.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापित जी, महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा एक पूरक प्रश्न है कि क्या मंत्रालय इस बारे में बताएगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार शिक्षा पर जी॰डी॰पी॰ का 6 प्रतिशत व्यय करने का देश को जो वायदा किया गया था, उसे कब तक पूरा किया जाएगा? इस वर्ष पंचवर्षीय योजना का जो समय बाकी बचा है, उसमें आपने उच्च शिक्षा के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से कितनी राशि की मांग की है? उस पर इन दोनों की क्या प्रतिक्रिया है और कितनी राशि आपको मिलने वाली है? इस तरह से आप उसका उपयोग करके ...(व्यवधान)... क्योंकि आपके जवाब से मालूम पड़ता है कि आपके पास कुछ ज्यादा राशि नहीं है।

इसमें दूसरी बात यह है कि अगर सरकार की प्रतिक्रिया अनूकूल नहीं है, तो फिर आप साधन कैसे जुटाएंगे और उच्च शिक्षा की जो बदहाली है, उसको आप कैसे दूर करेंगे क्योंकि इस समय भी तमाम कॉलेजेज में लाखों की तादाद में अध्यापकों की रिक्तियां पड़ी हुई हैं? विश्वविद्यालयों में हजारों की तादाद में अध्यापकों की रिक्तियां पड़ी हुई हैं, वैकेंसीज हैं, वे पूरी नहीं हो रही हैं। उनको आप कैसे पूरा करेंगी? छात्रों में और विश्वविद्यालयों में इस बात के लिए रोष है कि आपने 20 प्रतिशत खर्चा फीस बढ़ाकर या अन्य साधनों से बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस समय आपके पास क्या स्थिति हैं? सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य के विश्वविद्यालयों और अनुदानित कॉलेजेज में आप कितना पैसा देंगी और उनकी हालत को सुधारने के लिए आपने कितनी राशि मांगी है, कितनी आपको मिल रही है और यदि नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? आपसे मेरा यह सवाल है।

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, the UPA Government stands committed to the fact that in the Common Minimum Programme, we have made it very clear that six per cent of the GDP would be allocated for education. But for that, I am afraid, the hon. Member would have to wait for the Demands for Grants to come. With regard to teachers, we are looking at the grey areas which are really affecting the higher education, and necessary steps will be taken in this regard.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: But, do you know the number? ...(Interruptions)... This is not the answer...(Interruptions)... She is a very able Minister, much abler than the Cabinet Minister, let me say. So, do you know the number of vacancies? My question is: Is there any data about it? How many vacancies are there in higher education in different sectors, in State Universities, in Central Universities, in Technical Institutions, and how are you going to fill up those vacancies? We need not wait for the Demands for Grants for that purpose. Is there any scheme? And if you have demanded any amount, you can tell us the amount. What will they give, we will know only on 28th of February? What is your demand?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I would appreciate if the hon. Member gives a notice for this.

- *27. [The questioner (Shri Kalraj Mishra) was absent. For answer *vide* page 36.]
- *28. [The questioner (Shri Pramod Mahajan) was absent. For answer vide page 37.]

Extension of time limit for filing written statements in Civil disputes

*29. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:†
SHRI VIJAY J. DARDA

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Supreme Court has ruled that courts can extend the time limit of ninety days fixed under the Code of Civil Procedure for filing a written statement in civil disputes;
- (b) if so, whether it would not lead to further raising the huge arrears of civil cases in the country; and
- (c) the number of civil cases pending in District and High Courts as on the 31st December, 2005 and details of Government's plan to liquidate these arrears?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R., BHARDWAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Mohsina Kidwai.